रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266083
CG-DL-E-11092025-266083

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 2025/भाद्र 20, 1947
No. 576] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2025/BHADRA 20, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 620(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल योधक पैरा चिकित्सा कर्मचारीवृंद भर्ती नियम, 2013 को, जहां तक उनका संबंध मैट्रन या सहायक कमांडेंट के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण में पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा बल में उप कमांडेंट (मैट्रन) और सहायक कमांडेंट (मैट्रन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, योधक पैरा चिकित्सा संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो उससे उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** - वह व्यक्ति;

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सा दृष्टया योग्यता**- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-। में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

7. **सेवा का दायित्व** -इन नियमों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

8. **अन्य देशीय की अपात्रता** – कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, सिवाय लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्वअनुज्ञा के इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा।

परंतु यह कि इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात, बल में नेपाल या भूटान के नागरिक की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी ।

9. **अधिवर्षिता** – (1) प्रत्येक व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया है, उस मास की अंतिम तारीख के अपराह्न में, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विहित अनुसार अपनी सेवा से निवृत्त होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उस मास के पूर्ववर्ती मास की अंतिम तारीख के अपराह्न में सेवा से निवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को उप नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त की विहित आयु के पश्चात सेवा विस्तारण अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

10. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
1	2	3
उप कमांडेंट (मैट्रन)	*02 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक।

वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
4	5	6
वेतन मेट्रिक्स में स्तर-11 (रु.67700-208700)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक, और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
10
प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11
प्रोन्नति: (क) सहायक कमांडेंट (मैट्रन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु.56100-177500) में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा प्रवेश स्तर पर केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र में सफलतापूर्वक बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया हो; और (ख) अभ्यर्थी, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में होंगे । **टिप्पण :** जहां, ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो

भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महानिदेशक, - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. महानिरीक्षक, - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. निदेशक या उप सचिव, - सदस्य; गृह मंत्रालय 4. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), - सदस्य। सीमा सुरक्षा बल	लागू नहीं होता।

1	2	3
सहायक कमांडेंट (मैट्रन)	*10 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक।

4	5	6
वेतन मेट्रिक्स में स्तर-10 (रु.56100-177500)	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

10
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

11
(क) **प्रोन्नति**: (।) सूबेदार मेजर (सिस्टर इंचार्ज) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (रु.47600-151100) में उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा प्रवेश स्तर पर केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र में सफलतापूर्वक बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया हो; और (।।) अभ्यर्थी, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में होंगे । **टिप्पण 1 :** इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को, नियमित आधार पर सूबेदार मेजर (सिस्टर इंचार्ज) का पद धारण करने वाले पदधारियों के लिए पात्रता सेवा उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा होगी । **टिप्पण 2 :** जहां ,ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। (ख) **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी, - (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रु.47600-151100) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जनरल नर्सिंग प्रोग्राम में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा; और (iii) केंद्रीय नर्सिंग परिषद या राज्य नर्सिंग परिषद में जनरल नर्स और दाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत । **टिप्पण 1-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महानिदेशक , - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. महानिरीक्षक, - सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. निदेशक या उप सचिव, - सदस्य; गृह मंत्रालय 4. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), - सदस्य । सीमा सुरक्षा बल **समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. महानिदेशक, - अध्यक्ष ; सीमा सुरक्षा बल 2. महानिरीक्षक, - सदस्य ; सीमा सुरक्षा बल 3. निदेशक या उप सचिव, - सदस्य ; गृह मंत्रालय 4. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), - सदस्य । सीमा सुरक्षा बल	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. सी-17/01/2024/ कार्मिक-गोपनीय /सीसुब]

जूही वर्मा, निदेशक (कार्मिक व समन्वय)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2025

G.S.R. 620(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) and in supersession of the Border Security Force Combatised Para-Medical Staff Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the post of Matron or Assistant Commandant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Commandant (Matron) and Assistant Commandant (Matron) in the Border Security Force under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Border Security Force, Combatised Para-Medical Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application- These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.– The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical fitness. - Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

7. Liability of service.- Any person, appointed to any post under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

8. **Ineligibility of non-citizens of India. -** No person, who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

9. Superannuation.- (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first of a month, shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation as specified in sub-rule (1).

10. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

11. Saving.- Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification
(1)	(2)	(3)
1.Deputy Commandant (Matron).	02*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.

Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level- 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)
By promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion : (a)Assistant Commandant (Matron) in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with five years regular service in the grade and having successfully completed basic training in the relevant field as specified by the Central Government or Director General Border Security Force at entry level; and (b) the candidates shall be in medical category SHAPE-I as prescribed by the Central Government from time to time. **Note.-** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Director General, Border Security Force - Chairperson; 2. Inspector General, Border Security Force - Member; 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Deputy Inspector General (Medical), Border Security Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
2. Assistant Commandant (Matron).	10*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.

(4)	(5)	(6)
Level- 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.

(10)
By promotion, failing which by deputation.

(11)
(a)Promotion : (i)Subedar Major (Sister Incharge) in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with four years regular service in the grade and having successfully completed basic training in the relevant field as specified by the Central Government or Director General Border Security Force at entry level; and (ii) the candidates shall be in medical category SHAPE-I as prescribed by the Central Government from time to time. **Note 1.-** The eligibility service for the incumbents holding the post of Subedar Major (Sister Incharge) on regular basis on the date of commencement of these rules shall be two years of regular service in the grade. **Note 2.-** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (b) Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with four years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 of the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) 12^{th} class pass from a recognised Board; (ii) Bachelor's Degree or Diploma in General Nursing Programme from a recognised University or institute; and (iii) registered with the Central Nursing council or State Nursing Council as a General Nurse and Mid-wife. **Note 1.**- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note-3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Director General, Border Security Force - Chairperson; 2. Inspector General, Border Security Force - Member; 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Deputy Inspector General (Medical), Border Security Force - Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director General, Border Security Force - Chairperson; 2. Inspector General, Border Security Force - Member; 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 4. Deputy Inspector General (Medical), Border Security Force - Member.	Not applicable.

[F. No. C-17/01/2024/Pers-Confdl/BSF]

JUHI VERMA, Director (P&C)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.11 22:11:44 +05'30'